रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052024-254210
CG-DL-E-16052024-254210

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2024/वैशाख 26, 1946
No. 256] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2024/VAISAKHA 26, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2024

सा.का.नि. 277(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 के उप खंड (1) तथा उप खंड (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पायनियर संवर्ग (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पायनियर संवर्ग में समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पायनियर संवर्ग (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपाबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप-निरीक्षक (सिविल)	**183 * (2024)** *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)	चयन।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(6)
30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम 5 वर्षो की छूट अनुज्ञेय है) **टिप्पण:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (और न कि अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर-नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का जिला लाहौल और स्पिति तथा चम्बा जिले के पांगी उप मंडल और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन लदाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(7)
आवश्यक: (1) इंटरमीडिएट के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान या विश्वविधालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समकक्ष। (2) भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा स्तर, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल में भर्ती, चिकित्सा परीक्षा के लिए गृह मंत्रालय के तारीख 20/05/2015 के दिशानिर्देशों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित स्कीम के अनुसार लागू होंगे।

(3) अभ्यर्थियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान या विश्वविधालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।

क्या सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	2 वर्ष टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित कम से कम 2 सप्ताह की अवधि का प्रवेशन प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि अनुबंध सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81000 रुपए) में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के हवलदार (पायनियर) जिन्होंने उस ग्रेड में कम से कम दस वर्षो की नियमित सेवा और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा यथाविहित प्रोन्नति पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त करने के साथ चिकित्सा श्रेणी शेप-1 में हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से, इनमें से जो	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित होंगे: - 1. उप महानिरीक्षक , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य; 3. उप कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित होंगे: - 1. उप महानिरीक्षक , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य; 3. उप कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य।	लागू नहीं होता।

भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधिकारियों में से जो: (क) अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; और (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता रखते हैं। **टिप्पण 1**.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2**.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. हवलदार (पायनियर)	200* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए)	लागू नहीं होता।

(6)
लागू नहीं होता।

(7)
लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रुपए) में सिपाही (पायनियर) जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्षो की नियमित सेवा और महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा यथाविहित प्रोन्नति पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त करने के साथ चिकित्सा श्रेणी शेप-1 में हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधिकारियों में से जो:-	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित होंगे: - 1. उप महानिरीक्षक , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य; 3. उप कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य।	लागू नहीं होता।

(क) पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है ; (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समकक्ष ; या मैट्रिकुलेशन या समकक्ष के साथ राजमिस्त्री या बढई या प्लंबिंग या इलेक्ट्रीशियन या लोहार या वेल्डिंग या पेंटिंग आदि ट्रेड में तीन वर्ष का अनुभव। औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान या मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्रेड का प्रमाण प्रत्र रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। **टिप्पण 1**.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2**.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. सिपाही (पायनियर)	**234* (2024)** *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रुपए)	लागू नहीं होता।

(6)
18 से 23 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक छूट अनुज्ञेय है) **टिप्पण:-** प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में वर्णित रोके जाने की तारीख होगी।

(7)
(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष: (क) राजगीरी या बढईगीरी या प्लंबिंग या इलेक्ट्रीशियन या लोहार या वेल्डिंग या पेंटिंग आदि जैसे संबंधित ट्रेड में एक वर्ष का अनुभव। (ख) मान्यता प्राप्त औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। (2) भर्ती के लिए चिकित्सा और शारीरिक स्तर, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल में भर्ती, चिकित्सा परीक्षा के लिए गृह मंत्रालय के तारीख 20/05/2015 के दिशानिर्देशों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित स्कीम के अनुसार लागू होंगे। (3) अभ्यर्थियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	2 वर्ष टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित कम से कम 2 सप्ताह की अवधि का प्रवेशन प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण.- पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या लंबी छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर करने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो- (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता रखते हैं।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित होंगे: - 1. कमाण्डेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. उप कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य;	लागू नहीं होता।

	3. सहायक कमांडेंट (इंजीनियर), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य।	

[फा. सं. एम.पांच-1/2022-स्था.-डीए-1(पायनियर)]

जी. पार्थसारथी, संयुक्त सचिव (पी-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2024

G.S.R 277(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force, Pioneer Cadre (Group B and C Posts) Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' and Group 'C' Posts in the Pioneer Cadre in the Central Reserve Police Force, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Pioneer Cadre (Group 'B' and Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** - The number of posts, their classifications and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the above said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and others special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Sub-Inspector (Civil).	*183 (2023) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group, 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level 6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix.	Selection.

Age limit for direct recruits.
(6)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note :-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.
(7)
Essential: (1) Intermediate with three years diploma in Civil Engineering from a recognised Board or Institution or University or equivalent. (2) Physical and Medical standard for recruitment shall be applicable as per Ministry of Home Affairs guidelines dated 20/05/2015 for recruitment, medical examination in Central Armed Police Forces and Assam Rifles and as per the scheme prescribed by the Central Government from time to time. (3) Candidates will have to pass the Written test and Physical Efficiency Test as prescribed by the Central Government from time to time. **Desirable:** Preference will be given to those having Graduation degree in Civil Engineering from a recognised Board or Institution or University or equivalent.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	ninety percent by direct recruitment; ten percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Head Constable (Pioneer) of Central Reserve Police Force in level 4 (Rs. 25500-81100/-) in the pay matrix with not less than ten years regular service in the grade and subject to qualifying the promotional courses as prescribed by Director	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Chairman ;	Not applicable.

General, Central Reserve Police Force and being in Medical category SHAPE-I. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such or qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade amongst their junior who have completed such qualifying or eligibility service. **Deputation**: From amongst the Officers of the Central Government or the State Governments or Union territories: (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department, and (b) possessing the qualification prescribed for direct recruits under Column (7). **Note-1.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note-2.-** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note-3.-** The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly the deputationist shall not be eligible for appointment on promotion.	2. Commandant, Central Reserve Police Force - Member ; 3. Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Chairman ; 2. Commandant, Central Reserve Police Force-Member; 3. Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Head Constable (Pioneer).	*200 (2023) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level-4 (Rs. 25500- 81100/-) in the pay matrix.	Not Applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Constable (Pioneer) in level 3 (Rs. 21700-69100) in the pay matrix with five years regular service in the grade subject to qualifying the promotional courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force and being in Medical Category SHAPE-I. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such or qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade amongst their junior who have completed such qualifying or eligibility service. Deputation: From amongst the officers of the Central Government or State Governments or Union territories:- (a) holding analogous posts on regular basis with five years regular service; (b) having three years diploma in Civil Engineering from a recognised Institute or equivalent; or Matriculation or equivalent with three years experience in trades like Masonry or Carpenter or Plumbing or Electrician or Blacksmith or Welding or Painting etc. Preference will be given to those having certificate of trade from an Industrial Training Institution or recognised Institutions. **Note-1**.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note-2.-** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note-3.-** The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion), consisting of :- 1. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Chairman ; 2. Commandant, Central Reserve Police Force- Member ; 3. Deputy Commandant, Central Reserve Police Force- Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Constable (Pioneer).	*234 (2023) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level-3 (Rs. 21700- 69100/-) in the pay matrix.	Not Applicable.

(6)
Between 18 to 23 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) **Note**:- The crucial date for determination of the age limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.

(7)
1. Matriculation or equivalent from the recognised Board: (a) One year experience in respective trades like Masonry or Carpentry or Plumbing or Electrician or Blacksmith or Welding or Painting etc. (b) Preference will be given to those having certificate of trade from recognised Industrial Training Institute. 2. Medical and Physical standard for recruitment shall be applicable as per Ministry of Home Affairs guidelines for recruitment, medical examination in Central Armed Police Forces and Assam Rifles dated 20/05/2015 and as per the scheme prescribed by the Central Government from time to time. 3. Candidates will have to pass the Physical Efficiency Test, Written Test and Trade Test as prescribed by the Central Government from time to time.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or long leave or under any circumstance for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Governments or Union territories. (a) holding analogous posts on regular basis; (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Commandant, Central Reserve Police Force - Chairman ;	Not applicable.

	2. Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member ; 3. Assistant Commandant (Engineer), Central Reserve Police Force - Member.	

[F. No. M.V-1/2022-Estt-DA-1(Pioneer)]

G. PARTHASARATHI, Jt. Secy. (P.II).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.05.16 21:42:07 +05'30'